न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्याः—20/2024

प्रार्थीगणः—

1. उमेश कुमार पुत्र भंवरलाल जाति सरगरा निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा
2. नितीन कुमार पुत्र भंवरलाल जाति सरगरा निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा
3. नोनजी पुत्र मोमताजी जाति सरगरा निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा
4. सुरेश कुमार पुत्र मोमताजी जाति सरगरा निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीः—

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :—

श्री ललित जांगिड व श्री गणपतसिंह गोलिया
अधिवक्ता प्रार्थीगण

—:: आदेश ::—

दिनांक :— 29-08-2025

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि ग्राम मोकलसर तहसील सिवाना में खसरा संख्या 2583/726 रकबा 1.5136 हैक्टेयर की भूमि अवस्थित है। विवादित भूमि नेशनल हाईवे 325 से सीधे जुडती हुई ग्राम मोकलसर से रमणिया के बीच में आई हुई है प्रार्थीगण को ऑनलाईन नक्शे की नकल प्राप्त करने पर प्रथम बार जानकारी हुई कि प्रार्थीगण के उक्त खेत व सडक के बीच में खसरा संख्या 2377/726 का नक्शा दर्शित हो रहा है प्रार्थी के खेत की भौतिक सिथति मोके के अनुसार नक्शा दर्ज न होकर मौके से भिन्न गलत तौर से दर्ज हो गयी है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त त्रुटिपूर्ण तरमीम को दुरूस्त करने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश किया गया है ।

प्रकरण दर्ज कर जरिये नोटिस प्रार्थी की तलबी की गई।

तहसीलदार सिवाना ने जरिये पत्र [illegible]—भू.अ./2025/1553 दिनांक 31.07.2025 द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की।

प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.02 17:39:50 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार विवादित खसरा संख्या 2583/726 रकबा 1.5126 हैक्टेयर का सर्वे के पश्चात नवीन खसरा संख्या 503 रकबा 1.5073 व खसरा संख्या 2377/726 रकबा 0.5099 हैक्टेयर की भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग 325 में आवप्त होने के पश्चात शेष रकबा 0.1442 का नवीन खसरा संख्या 314 बना जो वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 325 के पश्चिम की ओर स्थित है। सर्वे रिसर्वे से पूर्व खसरा संख्या 2377/726 व सार्वजनिक निर्माण विभाग की सडक का मौके अनुसार तरमीम नहीं थी। सर्वे रिसर्वे के दौरान जहां मौके पर सार्वजनिक निर्माण विभाग की सडक चल रही थी वही राष्ट्रीय राजमार्ग 325 का निर्माण हुआ है। तहसीलदार सिवाना के रिपोर्ट अनुसार लट्ठा ट्रेस में उक्त त्रुटि को रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ट "ब" अनुसार दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सिवाना द्वारा पत्रांक भू.अ. /2025/1553 दिनांक 31.07.2025 द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के फर्द दिनांक 16.06.2025 के संलग्न परिशिष्ट "ब" अनुसार तरमीम दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। फर्द दिनांक 16.06.2025 के संलग्न परिशिष्ट "ब" उक्त आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 29.08.205 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.02 17:39:50 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

NIC-BHUNAKSHA

जिला : बाड़मेर

तहसील : सिवाना

दिनांक : 08/04/2025 02:14:45 PM

पटवारी हल्का : मोकलसर

ग्राम : मोकलसर

भू. अ. नि. क्षेत्र : मोकलसर

परिशिष्ट 'ब'

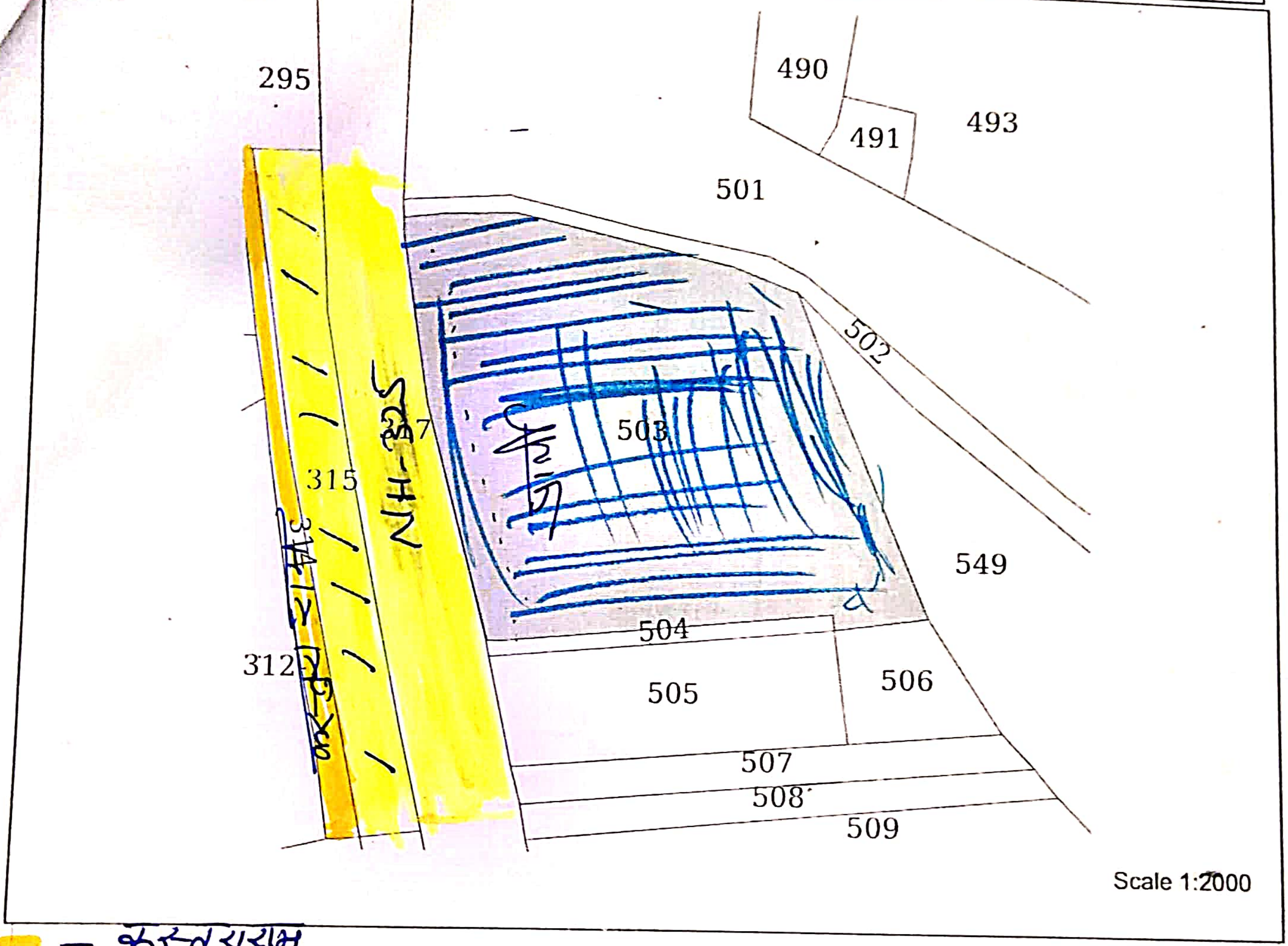

— कस्तुरराम

— NH325 अवाप्त भूमि कस्तुरराम

— NH-325

सुरेश मालवीय

— प्रार्थीगण

9879439910

पटवारी (भू.अ.)
पटवार मण्डल, मोकलसर
19/06/25

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

तहसीलदार सिवाना
जिला-बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.02 17:39:50 IST
Reason: SelfAttested